न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **84/2017**

GCMS No. : **2017/00174**

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. शोभा पत्नि उत्तमचन्द
   जाति– औसवाल कोठारी
   तहसील– जैतारण, जिला– पाली
   राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 02.05.2017

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री शिवरतन भण्डारी अधिवक्ता अप्रार्थी)

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/11/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 194/95 कुल रकबा 2–16 बीघा, मौजा पातुस में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ (चाईना क्ले पिसाई) जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 06.04.2017 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (चाईना क्ले पिसाई) की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.26 15:12:15 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।। अप्रार्थी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो कि सामिल मिसल है। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना मे कथन किया कि प्रार्थी दावा के फिकरा नम्बर 01 में लिखे कथन सही है। प्रार्थना पत्र दावा के पद संख्या 02 में लिखे कथन गलत व अस्वीकार है। कभी भी मुतनाजा जमीन को अकृषि के तौर पर काम में नही लिया गया है। मुतनाजा जमीन कोठारी मिनरल्स के पास ही होने से कोठारी मिनरल्स से पाउण्डर उड़कर मेरे खातेदारी जमीन में आ जाता था, जिस कारण जमीन सफेद हो जाती थी। अप्रार्थी द्वारा बार बार कहना होता रहता था कि आपके द्वारा मेरी जमीन खराब हो रही है, मुझ अप्रार्थी की जमीन को औद्योगिक तौर पर कभी भ्झी काम में नही ली गई है। प्रार्थना पत्र दावा के फिकरा नम्बर 03 में लिखे कथन गलत है मुझ अप्रार्थी द्वारा मुतनाजा जमीन को कृषि के तौर ही काम आ रही थी। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 04 में लिखे कथन गलत है पटवारी हल्का गलत रिपोर्ट दी गई थी, मुतनाजा जमीन में चाईना चक्ले का प्लांट नहीं लगा हुआ है, मेरी जमीन के पास चाईना क्ले का प्लांट लगा है जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन में लगा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 कानूनी है। पद संख्या 06 कानूनी है, जो गौर अदालत बाला के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 इस्तदुआं बाबत् है वादी किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योकि मुतनाजा जमीन में प्लांट लगा हुआ नहीं है।

प्रतिवादी प्रार्थिया शोभा द्वारा कार्यवाही ड्रोप करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि सामिल मिसल है। प्रार्थीया शोभा द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि मेरी खातेदारी की कृषि भूमि गांव पातुस पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण में आई हुई हैं, जिसके खसरा न0 194/95 है। मेरी खातेदारी भूमि के पास चिपते ही कोठारी मिनरल्स का चाईना क्ले प्लांट लगा हुआ है, इस कारण चाईना क्ले की पिसाई के कारण वहां से उड़कर मेरी जमीन पर सफेद चादर ढक जाती है। मेरी स्वयं की जमीन का नुकसान हो रहा था, मेरी जमीन में किसी प्रकार अकृषि के रूप में काम नहीं ली जा रही थी। मुझ प्रतिवादीया द्वारा उक्त भूमि को अकृषिं प्रयोजनाथ्र हेतू (औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतू) कार्यवाही की गई। जिसके लिये मुझे प्रतिवादीया द्वारा नगर पालिका जैतारण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतू प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया, जिस पर नगरपालिका जैतारण द्वारा रूपये 39572 की रसीद काटी गई, और रसीद पर टिप्पणी अंकित की गई फोटो स्टेट नकल रसद की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। नगरपालिका जैतारण में रूपये जमा कराने के बाद नगरपालिका जैतारण ने तहसीलदार जैतारण को ता0 18.07.2019 को अग्रिम कार्यवाही करने का पत्र भेजा गया, जिस बाबत् कार्यवाही तहसीलदार जैतारण के पास लम्बित है, पत्र की फोटो स्टेट नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतू गूगल मैप वेरीफिक्शेन हेतू जोधपुर में सहायक नगर नियोजन जोधपुर जोन विभाग में कार्यवाही चल रही है। वहां से कार्यवाही पूर्ण होने के तत्पश्चात तहसीलदार जैतारण व नगरपालिका जैतारण में कार्यवाही पूर्ण में की [illegible] भी बकाया नगरपालिका जैतारण द्वारा चार्ज जमा करने का आदेश करने [illegible] प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.26 15:12:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

द्वारा रूपये जमा करवा देगें, इस कारण न्यायालय हाजा से कार्यवाही से चालू नहीं रखी जाकर दावा की कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलान्ट एवं जवाब प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी एवं भूमिधारी, तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं प्रतिवादी के विरुद्व दावा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि खातेदार द्वारा कृषि भूमि का उपयोग बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि औद्योगिक (चाइना क्ले पिसाई) प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। दावे के साथ प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.20174 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि खातेदार द्वारा कृषि भूमि का चाइना क्ले पिसाई (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी एवं खातेदार द्वारा अपने जवाब दावा में यह कथन किया है कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई औद्योगिक संयत्र स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि उसकी भूमि के पास में स्थित कोठारी मिनरल्स से पाउडर उड़कर मेरी भूमि पर आ जाता है, जिससे भूमि सफेद हो गइ है, जिसके लिए उसके द्वारा कोठारी मिनरल्स को बार–बार टोका भी गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा भूमि को केवल कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में लिया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जैतारण के कार्यालय में कार्यवाही आरंभ करवा दी है, जो वर्तमान में जेरकार है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षेत्र जैतारण का तहसीलदार, जैतारण को प्रेषित पत्रांक 1407 दिनांक 18.07.2019, नगरपालिका मण्डल जैतारण द्वारा जारी संपरिवर्तन शुल्क जमा राशि रूपये 39572/– की रसीद संख्या 198 दिनांक 17.09.2019, दैनिक समाचार पत्र में नियम 6 (7) के तहत जारी लोक सूचना दिनांक 18.07.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संपरिवर्तन शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.10.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संपरिवर्तन की कार्यवाही वर्तमान में सहायक नगर नियोजक, जोधपुर एवं तहसीलदार जैतारण के स्तर पर लंबित है, अतः न्यायालय हाजा में विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे ताकि वह नियमानुसार संपरिवर्तन करवा सकें।

उपर्युक्त विवेचन प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सर्वप्रथम तो वादी एवं भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपनें वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर क्या–क्या संयत्र स्थापित एवं संचालित करके एवं किस प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जा रहा है, जो कृषि भूमि के लिए किस [illegible]हानिप्रद गतिविधि हैं, साथ ही चूंकि धारा 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] में स्पष्ट विधिक प्रावधान है कि खातेदार को अपनी कृषि भूमि को मूल स्वरूप [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno[illegible]
Date: 2020.11.26 15:[illegible]2:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जावें या नियमानुसार सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन करवाएँ जाने हेतू अवसर प्रदान किया जावें। चूंकि प्रतिवादी खातेदार द्वारा सक्षम स्तर से वादग्रस्त आराजी में संपरिवर्तन की कार्यवाही आरंभ कर दी है एवं संपरिवर्तन कराए जानें बाबत् अवसर दिए जानें की प्रार्थन भी की है, अतः वादी का वाद भली भांति साबित नहीं होनें से अस्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली भाँति साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज करते हुए प्रतिवादी/खातेदार को वादग्रस्त आराजी ग्राम– जैतारण; तहसील– जैतारण की खसरा संख्या 1945/95 रकबा 02–16 बीघा, किस्म चाही दोयम को तीन माह के भीतर सक्षम स्तर से नियमानुसार संपरिवर्तन कराए जानें या उसे मूल स्वरूप में बनाए रखनें हेतू धारा 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विकल्प प्रदान किया जाता है। पत्रावली इस क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/11/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.11.26 15:12:15 IS
Reason: SelfAttested